सीबी-।।(जेसीओपी) सं. २

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

दूसरा प्रतिवेदन

30-07-2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

30-07-2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

श्रावण, 2021/ श्रावण, 1943 (शक)

मूल्य: .....

विषय-सूची

पृष्ठ

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की संरचना (iii)

प्राक्कथन ..... (iv)

प्रतिवेदन

लोक सभा सदस्यों का राजस्थान राज्य की जिला आयोजना समितियों में मनोनयन 1

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की 18 नवम्बर, 2020 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश का सार। 40

परिशिष्ट-II लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की 15 मार्च, 2021 को हुई सातवीं बैठक के कार्यवाही सारांश का सार। 43

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की संरचना

(सत्रहवीं लोक सभा)

डॉ. सत्य पाल सिंह – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री बैन्नी बेहनन
3. श्री विनोद चावड़ा
4. श्री विजय कुमार हांसदाक
5. डॉ. मनोज राजोरिया
6. श्रीमती अपराजिता सारंगी
7. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी
8. श्री तेजस्वी सूर्या
9. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
10. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

11. डॉ. सस्मित पात्रा
12. श्री महेश पोद्दार
13. श्री वि. विजयसाई रेड्डी
14. सुश्री दोला सेन
15. श्री हरद्वार दुबे *

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती बी. विसाला	-	निदेशक
3.	श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी	-	अपर निदेशक
4.	श्री राज कुमार चौधरी	-	अवर सचिव
5.	श्रीमती सीमा शर्मा	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

---

* राज्य सभा समाचार भाग-II दिनांक 12.02.2021 (पैरा सं. 60610) के तहत श्री के. केशव राव के कार्यकाल की समाप्ति पर समिति का सदस्य मनोनीत ।

प्राक्कथन

मैं, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर समिति की ओर से समिति का यहदूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. यह विचार करने हेतु कि समिति ने बुधवार, 18 नवम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राजस्थान राज्य में जिला आयोजना समितियों की कार्यावधि, संरचना, प्रकृति, कार्यकरण आदि की इस दृष्टि से जांच की है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत 'लाभ के पद'की दृष्टि से राजस्थान राज्य में जिला आयोजना समितियों में क्या लोक सभा सदस्यों का मनोनयन किए जाने से वे संसद सदस्य बने रहने से निरर्हित हो जाएंगे।

3. समिति ने सोमवार, 15 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् इसे स्वीकार कर लिया है।

4. समिति इसमें शामिल मुद्दों की व्यापक जांच हेतु समिति द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) को धन्यवाद देती है।

5. समिति द्वारा विचारित विषय के संबंध में उसके द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों को इस प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में दिया गया है।

नई दिल्ली,
24 मार्च 2021
03 चैत्र, 1943 (शक)

डॉ. सत्यपाल सिंह
सभापति
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य की जिला आयोजना समितियों के सदस्यों के रूप में लोक सभा सदस्यों का मनोनयन

.....

राजस्थान सरकार (संसदीय कार्य विभाग) ने राजस्थान राज्य के जिलों नामत: करौली, प्रतापगढ़, बूंदी और चुरू के लिए गठित जिला आयोजना समितियों में लोक सभा सदस्यों को सदस्य के रूप में मनोनीत करने हेतु माननीय लोक सभा अध्यक्ष की सहमति प्राप्त करने हेतु एक अनुरोध अग्रेषित किया है।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी **(अनुबंध-एक)**के अनुसार जिला आयोजना समिति (इसे इसके बाद समिति कहा गया है)एक स्थायी निकाय है जिसका गठन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 121 के अंतर्गत किया गया है। समिति में 25 सदस्य होंगे - जिनमें से 20 सदस्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की आबादी के अनुपात में जिला परिषदों और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 5 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जिनमें से 2 व्यक्ति संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों अथवा स्वैच्छिक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से होंगे। समिति का सभापति जिला परिषद का प्रमुख होगा। समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में संसद सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा राज्य सरकार के आगामी आदेशों तक होगा।

3. पद पर नियुक्ति करने और पद से हटाने पर राजस्थान सरकार का नियंत्रण है परंतु इसका पद के कार्यनिष्पादन तथा कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। समिति कार्यकारी,विधायी तथा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करती और यह निधियों के वितरण,भूमि के आबंटन आदि की शक्ति प्रदत्त नहीं करती और साथ ही इसके पास नियुक्ति अथवा पद से हटाने की शक्ति नहीं है। तथापि,*समिति प्रश्रय के माध्यम से प्रभाव अथवा शक्ति का प्रयोग करेगी ।* समिति के सदस्यों के रूप में संसद सदस्यों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता है और उन्हें कोई सुविधा अथवा पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है, अत:, संसद (निरर्हता

निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) में परिभाषित 'प्रतिकरात्मक भत्ता' के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। समिति का मुख्य कार्य जिले की पंचायत समितियों तथा नगर निकायों द्वारा तैयार की गई जिला वार्षिक योजना का समेकन करना और इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करना है। समिति के कार्य पूर्णत:सलाहकारी प्रकृति के नहीं है।

4. राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि जिला परिषद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य,पदेन सरकारी अधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही समिति के सदस्य होंगे। राज्य सरकार द्वारा संसद सदस्यों को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समिति के सदस्य के रूप में संसद सदस्य की भूमिका जिले की पंचायत समितियों तथा नगर निकायों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं का समेकन करना,उन्हें अनुमोदित करना तथा राज्य सरकार को अग्रेषित करना है।

5. राजस्थान सरकार ने यह बताया है कि समिति के सदस्य के रूप में संसद सदस्यों को न तो भत्ता/पारिश्रमिक अदा किया जा रहा है और उन्हें न ही कोई अन्य सुविधा दी जाती है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है।

6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के उपबंध के अनुसार :-

> "कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा -
>
> यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर,जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है,कोई लाभ का पद धारण करता है।"

7. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 ने अन्य बातों के साथ-साथ कुछ पद निर्धारित किए हैं जिनको धारण करने वाले संसद की सदस्यता से निरर्हित नहीं होंगे **(अनुबंध-दो)**। अधिनियम की धारा 3 (झ) यह उपबंध करती है कि यदि किसी कानूनी अथवा गैर-कानूनी निकाय का अध्यक्ष अथवा निदेशक अथवा सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ते के अलावा किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है तो वह संसद सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा।

"3(झ) किसी ऐसे निकाय से,जो खण्ड (ज)में निर्दिष्ट हैं,भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष,निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है,किंतु इसमें(i) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद,(ii)अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद; और (iii) अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट अकानूनी निकाय के उपाध्यक्ष का पद,सम्मिलित नहीं है।"

8. उक्त अधिनियम की धारा 2 (क) के अंतर्गत "प्रतिकरात्मक भत्ता" से धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद सदस्य,(संसद सदस्य वेतन,भत्ता और पेंशन अधिनियम,1954 के अधीन हकदार है),किसी परिवहन भत्ते,गृह भाटक भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है।"

9. मामले को विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) का लिखित मत लेने के लिए उसके पास भेजा गया था कि क्या जिला आयोजना समिति में माननीय संसद सदस्यों का मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उप-खंड (क) के तहत 'लाभ का पद' के अंतर्गत उन्हें सदन की सदस्यता से निरर्हित करेगा।

10. विधि कार्य विभाग ने दिनांक 27 जुलाई,2017 के अपने पत्र **(अनुबंध-तीन)** के तहत इस बात की पुष्टि की है कि चूंकि समिति के सदस्य के रूप में संसद सदस्यों को कोई भत्ता, सुविधा और पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, वे संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) में प्रतिकरात्मक भत्ते के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। विभाग द्वारा व्यक्त विचारों के सुसंगत बिन्दु इस प्रकार हैं:-

"7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा (क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसके धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। जैसा कि अनेक मामलों द्वारा स्थापित हो चुका है, इस अनुच्छेद को आकर्षित करने के लिए ये मुख्य बातें होनी चाहिए कि एक पद हो, वो लाभ का पद हो, जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन हो, उस पद को संसद द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा इस उप खंड के दायरे में शामिल न किया गया हो। अत: इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के नियंत्रण की प्रकृति, बोर्ड के कृत्यों और सदस्यों को प्राप्त भत्तों की जांच की जाए। जहां तक संसद द्वारा बनाए गए कानून का संबंध है, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम,1959 (1959 का 10) पारित किया है जिसके तहत उन कतिपय लाभ के पदों को घोषित किया गया है जो कि धारक को संसद का सदस्य चुने जाने या होने से निरर्हित नहीं करेंगे। तथापि,प्रश्नगत पद उक्त अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त पद नहीं है।

9.....कि संसद सदस्य संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 (ज) में यथा उल्लिखित निकाय से भिन्न किसी कानूनी निकाय का सदस्य है। राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा मद 7 की प्रश्न सूची में बताया गया धारक, संसद सदस्य के ऐसे पद का धारक होने के नाते, ने बताया है कि संसद सदस्य को समिति के सदस्य के रूप में कोई भत्ता, कोई सुविधा और पारिश्रमिक संदेय नहीं है। अत: संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 (क)

में प्रतिकरात्मक भत्ता का हकदार नहीं है। अत: अधिनियम, 1959 की धारा 3 (झ) के उपबंध के अनुसार जिला आयोजना समिति में पद कोई पद नहीं है और इसे लाभ का पद नहीं कहा जा सकता।

10. तथापि, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में ऐसे पदों का उल्लेख है जो उसके धारकों को निरर्ह नहीं करते। खण्ड (ज) और (झ) इस अधिनियम के सबसे अधिक महत्वपूर्ण खण्ड हैं। खण्ड (ज) सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को सार्वजनिक महत्व के मामले में सलाह देने के उद्देश्य से समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद को छूट प्रदान करता है, बशर्ते कि पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। खण्ड (झ) ऐसे किसी निकाय के अलावा किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य के पद को छूट देता है, जैसा कि खंड (ज) में उल्लिखित है, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। हालाँकि, यह छूट अनुसूची के भाग I में सूचीबद्ध किसी भी निकाय के अध्यक्ष के लिए उपलब्ध नहीं है। यह अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट किसी भी किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव के लिए भी उपलब्ध नहीं है।

12. उपर्युक्त को देखते हुए और इस विभाग को उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर और विधि और न्याय माननीय राज्य मंत्री के विचार के आधार पर..... हमारा विचार है कि लोकसभा के सदस्य का जिला आयोजना समिति में नामांकन सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं माना जा सकता।"

11. विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने दिनांक 8 अगस्त, 2017 के अपने पत्र **(अनुबंध-चार)** के तहत यह स्पष्ट किया है कि राजस्थान राज्य की जिला आयोजना समिति को 1959 के अधिनियम के तहत छूट नहीं दी गई है। उनकी राय में चूंकि समिति के सदस्य न तो किसी पारिश्रमिक अथवा किसी भत्ते और न ही सुविधा के हकदार है,इस मामले में आर्थिक लाभ के रूप में लाभ का कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता है,उनकी राय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है

कि सदस्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के कानूनी प्रावधानों के कारण समितियों में मनोनीत किए जा रहे हैं और उक्त अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम में उनको पद से हटाये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

12. इसके अतिरिक्त अधिनियम,1994 की धारा 121 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 के नियम 352 में यथा उल्लिखित समिति की शक्तियों तथा कार्यों को बारीकी से पढ़ने पर उन्होंने यह पाया कि समिति के कार्य पूर्णतया सलाहकारी प्रकृति के हैं। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार समिति के कार्य पूर्णतया सलाहकारी प्रकृति के नहीं है,समिति प्रश्रय के माध्यम से प्रभाव अथवा शक्ति का प्रयोग करती है। इस प्रकार विभाग की यह राय है कि राजस्थान की जिला आयोजना समितियों में लोक सभा सदस्यों का मनोनयन उन्हें संसद सदस्य होने से निरर्हित करेगा।

13. चूंकि विधि और न्याय मंत्रालय के दोनों विभागों ने परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए हैं इसलिए लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों को बुधवार,18 नवम्बर,2020 को मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया। साक्ष्य के दौरान विधि विभाग के सचिव ने यह बताया:-

"जब एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या समिति प्रभाव या शक्ति को संरक्षण के माध्यम से प्राप्त करेगी, तो राजस्थान राज्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि: 'हां', समिति प्रभाव या शक्ति को संरक्षण के माध्यम से प्राप्त करेगी। चूंकि समिति संरक्षण के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न करेगी, इसलिए इस विभाग, जिसका अर्थ है, विधायी विभाग, ने यह मत व्यक्त किया है कि लोकसभा के सदस्यों को जिला आयोजना समिति में नामांकित करने से संसद सदस्य होने के लिए निरर्ह ठहराया जा सकता है। यह मूल रूप से लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों में से एक है। 1984 में, उन्होंने यह कहते हुए कुछ दिशानिर्देश दिए थे कि जांच करते हुए कि कोई समिति अयोग्य ठहराती है या नहीं, आप इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। हमने उन दिशानिर्देशों की जांच की है और फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।"

14. सचिव, विधायी विभाग, ने आगे कहा कि :

".... पिछली कार्यवाही में आपने हमें बताया था कि आपको उन दिशानिर्देशों के आलोक में इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है और आप केवल कानूनी मुद्दों की जांच करते हैं। तदनुसार, मैंने विधि कार्य विभाग के मत की प्रति भी ली है, जो कि एक संशोधित संस्करण है। तदनुसार, हम विधि कार्य विभाग के साथ सहमत हैं। मैंने अपनी संयुक्त राय प्रस्तुत नहीं की है।"

15. मौखिक साक्ष्य के दौरान, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति ने चाहा कि विधायी विभाग किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप से बचने के लिए इस मामले में अपनी संशोधित राय प्रस्तुत करे। विधायी विभाग ने का.ज्ञा. सं. एफ.सं. 17 (8)/ 2017-विधि.तीन दिनांक 27 नवंबर, 2020 **(अनुबंध - पांच)** के तहत इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है:-

"8. *इस विषय की विधायी विभाग द्वारा भी विस्तार से जाँच की गई है और यह कहा गया है कि संसद सदस्य को जिला आयोजना समिति के सदस्य के रूप में कोई भत्ता, कोई सुविधा और पारिश्रमिक देय/प्राप्य नहीं है और संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) के अनुसार प्रतिकरात्मक भत्ता से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते और इसे अधिनियम की धारा 3(झ) के साथ पढ़ा जाए तो जिला आयोजना समिति के पद को लाभ का पद नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, विधायी विभाग इस विषय पर विधि कार्य विभाग द्वारा प्रदान की गई राय के साथ सहमत है।"*

टिप्पणियां / सिफारिशें

16. समिति यह नोट करती है कि जिला आयोजना समिति एक स्थायी निकाय है। समिति का गठन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के अनुसार किया जाता है जिसमें समिति की संरचना और अधिदेश का उपबंध है। समिति में 25 सदस्य होते हैं - जिनमें से 20 सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिले की परिषदों और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, और 05 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं जिनमें से 02 व्यक्ति सांसदों, विधायकों या स्वैच्छिक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। गैर-सरकारी सदस्य के रूप में संसद सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या राज्य सरकार के अगले आदेशों तक होता है। समिति में एक सदस्य के रूप में संसद सदस्य की भूमिका जिले की पंचायत समितियों और नगर निकायों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं को समेकित और अनुमोदित कर राज्य सरकार को अग्रेषित करना है। चूंकि समिति के सदस्य के रूप में संसद सदस्य को कोई सुविधा, भत्ता या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, इसलिए इसे संसद(निरर्हता निवारण)अधिनियम,1959 की धारा 2(क) के अनुसार यथापरिभाषित "प्रतिकरात्मक भत्ता" के तहत शामिल नहीं किया जाता है।

17. समिति यह भी नोट करती है कि पद पर नियुक्ति और पद से हटाने पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है लेकिन पद के कार्यप्रदर्शन और कृत्यों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। जिला आयोजना समिति कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, और इसके साथ ही इसे धन के संवितरण, भूमि के आवंटन आदि की शक्तियां प्रदत्त नहीं की गई हैं, और इसे नियुक्ति या निष्कासन की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी। हालाँकि, समिति संरक्षण के माध्यम से प्रभाव जमा सकेगी या शक्ति को प्राप्त करेगी। समिति का मुख्य कार्य जिले की पंचायत समितियों और नगर निकायों द्वारा तैयार जिला वार्षिक योजना को समेकित करना और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करना है। समिति के कार्य पूर्णत:सलाहकारी प्रकृति के नहीं होते हैं।

18. समिति आगे विधि कार्य विभाग की राय को नोट करती है कि अधिनियम, 1959 की धारा 3 (झ) के उपबंध के मद्देनजर जिला आयोजना समिति का पद कोई पद नहीं होता है और इसे लाभ का पद नहीं कहा जा सकता। प्रारंभ में, विधायी विभाग ने यह बताया है कि 1984 में

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा जारी मानदंडों के आधार पर संसद सदस्य का जिला आयोजना समिति में नामांकन संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो सकता है, बाद में, विधायी विभाग ने अधिनियम, 1959 की धारा 3 (झ) के आलोक में अपनी राय में संशोधन करके वर्तमान मामले की संवीक्षा की थी और बाद में विधि कार्य विभाग द्वारा दी गई राय के साथ अपनी सहमति व्यक्त की है।

19. उपरोक्त के मद्देनजर, समिति यह पाती है कि राजस्थान राज्य में जिला आयोजना समिति के लिए संसद सदस्य का नामांकन भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के तहत संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह नहीं कर सकता ।

नई दिल्ली :
15 मार्च, 2021
२4 फाल्गुन, १९४२ (शक)

डॉ सत्य पाल सिंह
अध्यक्ष
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

MOST URGENT
By Speed Post

अनुबंध - I

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक : प0 15 (1) संसद / 2014पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 03-03-2017

अतिरिक्त निदेशक,
कमेटी ब्रांच–II{COMMITTEE BRANCH-II (Joint Committee on Offices of Profit)}
लोकसभा सचिवालय,
पार्लियामेन्ट हाउस,
नई दिल्ली–110001

विषयः– जिला आयोजना समिति करौली, प्रतापगढ, बूंदी एवं चूरू में माननीय सांसदों के मनोनयन हेतु सहमति बाबत ।

संदर्भः आपका पत्रांक 21/2/3(2)/2017/सी–द्वितीय दिनांक 13.02.2017, इस विभाग का समसंख्यक पृष्ठांकित पत्र दिनांक 20.02.2017 के क्रम में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के अनुसरण में शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) से प्राप्त अशा.टीप क्रमांक एफ 4( )/पराचि/आप्र/डीपीसी/2014/243 दिनांक 03.03.2017 मय संलग्नक की छाया प्रतियां संलग्न कर निवेदन है कि जिला आयोजना समिति, करौली, प्रतापगढ, बूंदी एवं चूरू हेतु निम्नलिखित माननीय सांसदों को सदस्य के रूप में मनोनयन हेतु मा0 अध्यक्ष, लोकसभा की सहमति प्रदान करने का श्रम करावें :

1. जिला आयोजना समिति, करौली– डॉ0 मनोज राजोरिया, मा0 सांसद, लोकसभा क्षेत्र करौली एवं धौलपुर
2. जिला आयोजना समिति,प्रतापगढ– श्री सी.पी. जोशी,मा0 सांसद, लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ।
3. जिला आयोजना समिति, बूंदी– श्री ओम बिड़ला, माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र–कोटा।
4. जिला आयोजना समिति, चूरू– श्री राहुल कस्वा, मा0 सांसद, लोकसभा क्षेत्र–चूरू।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय
(हस्ताक्षर) 03-03-17
(कैलाश सिंगाड़िया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी संदर्भित अ0शा0 पत्रांक 243 दिनांक 03.03.2017 के कम में ।
2. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(हस्ताक्षर) 3/3/2017

— 6 —

MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

☎ : 0141-2385027(O), Fax: 0141-2385027
E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

संसदीय कार्य विभाग
डायरी संख्या 538
3/3/2017

विषयः—जिला आयोजना समिति करौली, प्रतापगढ़, बूंदी एवं चूरू में माननीय लोकसभा सांसदों के मनोनयन हेतु माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदया की सहमति बाबत्।
संदर्भः—आपकी अ.शा.टीप सं. प.15 (1) संसद/2014/पार्ट–1 दिनांक 20.02.2017
प्रसंगः—अति. निदेशक, लोकसभा (सचिवालय), नई दिल्ली का पत्रांक 21/2/3 (2)/2017/सी–द्वितीय दिनांक 13.02.2017

जिला आयोजना समिति, जिला–करौली, प्रतापगढ़, बूंदी एवं चूरू में निम्नलिखित माननीय सांसदों के मनोनयन हेतु माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदया की सहमति प्रदान कराने का श्रम करावें—

1. जिला आयोजना समिति, करौली— डॉ० मनोज राजोरिया, माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र–करौली एवं धौलपुर।
2. जिला आयोजना समिति, प्रतापगढ़–श्री सी.पी जोशी, माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र–चित्तौडगढ़।
3. जिला आयोजना समिति, बूंदी–श्री ओम बिड़ला, माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र–कोटा।
4. जिला आयोजना समिति, चूरू–श्री राहुल कस्वा, माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र–चूरू।

संलग्न :
1. लिस्ट ऑफ पॉईन्टस।
2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–121
3. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996–350, 351 व 352

Recd today at 5.40 PM.
03-03-17

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

शासन उप सचिव,
संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर।

AS
03/03/17

यू.ओ.नोट क्रमांकःएफ.4( )पराविं/आप्र/डी.पी.सी./2014/243
जयपुर, दिनांकः— 3-3-2017

S.O.
3/3/17
SH. S D.

D:\K-New D Planning\PL Saini\PL\UO Note.docx

List of Points

Sr.No.	Question	Answer
1.	Please State whether the District Planning Committee is a Standing or an Adhoc body.	The District Planning Committee is a Standing body
2.	Please furnish details of the composition of the District Planning Committee indicating the number of officials and non-officials in the body.	**No. of Officials- 4** 1. District Collector- Ex-officio Member 2. Chief Executive Officer, Zila Parishad- Ex-officio Member 3. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishad- Ex-officio Member 4. Chief Planning Officer - Secretary **No. of Non Officials-21** a) 20 members shall be elected from amongst and by the elected representatives of Zila Parishad and Municipal Bodies in proportion to ratio of population of rural areas and urban areas in the District. b) The Chairperson of such Committee shall be the Pramukh of the Zila Parishad c) Two persons from M.Ps, MLAs or persons representing Voluntary agencies nominated by the State Government.
3.	Please give in detail the powers and functions of the Committee.	1. Main function shall be to consolidate the District Annual Plan prepared by Panchayat Samitis and Municipal Bodies of the District 2. Forward the District Plan to the State Government
4.	Whether the functions of the Committee are purely advisory in nature.	The function of the committee are not purely advisory in nat-
5.	Please furnish details with respect to the following :- 1) The term of the Member of Parliament as non-official Member in the Committee. 2) Whether the Government exercise control over the appointment to and removal from the office and over the performance and functions of the office.	1) Five Years and till further order of the State Government. 2) Yes, Government do exercise control over the appointment and removal from the office and have no control over the performance and functions of the office.

	3) The qualifications for Membership, and	3) Qualifications for membership – • Elected members of Zila Parishad & Municipal Bodies • Ex- Officio Government Officers • Nominated by Government.
	4) The role of the Member of Parliament as a Member in the Committee.	4) The role of Member of Parliament as a member in the committee are – • To consolidate the annual plans prepared by Panchayat Samitis and Municipal Bodies of the District. • Approval of the District Plan. • Forward the approved District Plan to the State Government
6.	Please also give a specific reply to each of the following:- 1) Whether the Committee exercise executive, legislative or judicial powers. 2) Whether the Committee confers powers of disbursement of funds, allotment of lands etc. 3) Whether it would have powers of appointment/ removal, and 4) Whether the Committee would wield influence or power by way of patronage.	1) No- Committee did not exercise executive , legislative and judicial powers 2) No- Committee did not confers powers of disbursement of funds, allotment of land etc. 3) No- Committee did not have powers of Appointment / removal 4) Yes – committee will wield influence or power by the way of patronage.
7.	1. Please indicate the details of expenses payable to the Member of Parliament / Member of the council as a Member of the Committee specifying the actual rates of payment with break-up of sitting fee, daily allowance, travelling allowance, house-rent allowance, compensatory allowance, honorarium etc. 2. Please specify the facilities, other than the remuneration given or proposed to be given to the Member of Parliament as a Member of the Committee.	1. The Member of Parliament / Member of the Council as a member of the committee are not paid any allowances as mentioned. 2. No facility and remuneration are given and neither proposed to be given to the Member of Parliament as the member of the committee.

	3. Please state whether the allowances payable to the Member of Parliament as a Member of the Committee are covered under the Compensatory Allowance defined in Section 2 (a) of Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959	3. No allowances are payable to the Members of Parliament as the Member of the Committee hence not covered under the compensatory Allowance defined in Section 2 (a) of Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959
8.	Please furnish any information which the State Government wish to furnish on the subject.	

(सी. एस. मीणा)
संयुक्त शासन सचिव
पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर

121. Committee for District Planning : (1) The Government shall constitute in every district a District Planning Committee, hereinafter in this section, referred to as "the Committee" to consolidate the plans prepared by the Panchayati Raj Institutions and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.

(2) The Committee shall consist of such number of members as may be fixed by the Government from time to time by notification in the Official Gazette and in so fixing the total number of members of the committee, the Government shall specify the number respectively of the nominated members and elected members :

Provided that not less than four-fifth of the total number of members of such committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Zila Parishad and of the municipalities in the district in proportion to the ratio between the population of the rural area and of the urban areas in the district.

(3) The elected members shall be chosen in such manner as may be prescribed.

(4) The nominated members may consist of :

(a) persons representing the State Government;

(b) members of the House of the People or of the Rajasthan Legislative Assembly who represent a constituency comprising the whole or part of the district;

(c) members of the Council of States who are registered as electors in the district; and

(d) members representing such organisations and institutions as may be deemed necessary by the Government.

(5) The committee shall have—

(a) such functions relating to district planning as may be assigned to it by the Government; and

(b) such powers as may be conferred on it by the Government.

(6) The Chairperson of such Committee shall be the Pramukh of the Zila Parishad concerned.

(7) Every Committee shall, in preparing the draft development plan,-

(a) have regard to—

(i) matters of common interest between the Panchayati Raj Institutions and the Municipalities including spatial planning, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation; and

(ii) the extent and type of available resources whether financial o otherwise; and

(b) consult such institutions and organisations as the Government ma by order, specify.

(8) The Chairperson of every Committee shall forward th development plan, as recommended by such committee to th Government.

EXPLANATION : for the purpose of this section, the terr "Municipality" shall have the meaning assigned to it by the Rajasthan Municipalities Act, 1959.

DISTRICT PLANNING COMMITTEE

350. Members of District Planning Committee : (1) The District Planning Committee as envisaged in section 121 of the Act, shall have in all 25 members out of whom 20 members shall be elected from amongst and by the elected representatives of Zila Parishad and Municipal bodies in proportion to ratio of population of rural areas and urban areas in the district.

(2) Five nominated members shall be as under:-

(a) Collector of the district.
(b) Additional Collector, District Rural Development Agency.
(c) Chief Executive Officer Zila Parishad.
(d) Two persons from M.Ps., MLA's or persons representing Voluntary agencies nominated by the State Government.

351. Election of Members : (1) Procedure of election shall be the same as prescribed for election of members of a Standing Committee of Zila Parishad.

(2) Such meeting for election of members shall be called by the Collector or officer nominated by him not below the rank of Additional Collector who will be assisted by the Chief Executive Officer.

352. Powers and functions of District Planning Committee: (1) Main function shall be to consolidate the annual plans prepared by Panchayat Samitis and Municipal Bodies of the district.

(2) Consider issues of common interest as laid down in sub-section (7) of Section 121 of the Act.

(3) Forward the district plan to the State Government.

(4) Chief Planning Officer shall act as Secretary of the Committee.

अनुबंध - दो

भाग 4

निरर्हताओं को हटाने संबंधी विधि

संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959

(1959 का अधिनियम संख्यांक 10

यह घोषित करने के लिए कि सरकार के अधीन के कतिपय लाभ के पद उनके धारकों को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न करेंगे,

[4 अप्रैल, 1959]

अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद् सदस्य, [1][संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) के अधीन हकदार है], किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ता या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है ;

(ख) "कानूनी निकाय" से किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या न हो ;

(ग) "अकानूनी निकाय" से ऐसे व्यक्तियों का कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जो कानूनी निकाय से भिन्न हो ।

3. कतिपय लाभ के पद पर निरर्हित न करेंगे—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद, उसके धारक को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात् :—

(क) संघ के या किसी राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री द्वारा, चाहे पदेन या नाम से, धृत कोई पद ;

[2][(कक) संसद् में विपक्षी नेता का पद ;]

[3][(कख) योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद ;]

[4][(कग) संसद् के किसी सदन में किसी मान्यताप्राप्त दल और किसी मान्यताप्राप्त समूह के [5][प्रत्येक नेता और प्रत्येक उपनेता] का पद ;]

[6][(कघ) भारत सरकार द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय में आदेश सं0 631/2/1/2004-मंत्रिमंडल, तारीख 31 मई, 2004 द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष का पद ;]

(ख) संसद् में मुख्य सचेतक, उपमुख्य सचेतक या सचेतक का पद या संसदीय सचिव का पद ;

[7][(खक) निम्नलिखित के अध्यक्ष का पद—]

(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ;

[8][(ii) संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ;

(iiक) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ;]

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग ;]

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), टैरीटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 (1948 का 56) या रिजर्व एण्ड आग्जिलरी एयर फोर्सेज ऐक्ट, 1952 (1952 का 62) के अधीन समुत्थापित या बनाए रखे गए किसी बल के सदस्य का पद ;

(घ) किसी राज्य में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद ;

(ङ) मुम्बई, कलकत्ता या मद्रास के नगर में शेरिफ का पद ;

---

[1] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 2 द्वारा (27-8-1993 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं0 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) अन्तःस्थापित ।

[3] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 3 द्वारा (19-7-1993 से) अन्तःस्थापित ।

[4] 1999 के अधिनियम सं0 5 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[5] 2000 के अधिनियम सं0 18 की धारा 5 द्वारा (7-6-2000 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 2006 के अधिनियम सं0 31 की धारा 2 द्वारा (18-8-2006 से) अन्तःस्थापित ।

[7] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 3 द्वारा (27-8-1993 से) अन्तःस्थापित ।

[8] 2013 के अधिनियम सं0 28 की धारा 2 द्वारा (19-2-2004 से) खंड (खक) के उपखंड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(च) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संसक्त किसी अन्य निकाय की सिंडीकेट, सिनेट, कार्यपालिका समिति, परिषद् या कोर्ट के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(छ) सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रत्यायोग या मिशन के सदस्य का पद ;

(ज) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले की जांच करने या उसके बारे में सांख्यिकियां संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ;

[1][(झ)] किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, किन्तु इसमें (i) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद, और (ii) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद, सम्मिलित नहीं है]

(ञ) चाहे लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख या किसी अन्य नाम से कहे जाने वाला ऐसे ग्राम राजस्व आफिसर का पद जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिसको पारिश्रमिक उसके द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलता है, किन्तु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करता ;

[2][(ट) सारणी में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ठ) किसी न्यास के, चाहे वह लोक न्यास हो या प्राइवेट, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई निकाय नहीं है, अध्यक्ष या न्यासी का पद (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ड) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय के, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निकाय नहीं है, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान सचिव या सचिव का पद ;

[3][**स्पष्टीकरण 1**]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए [4][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव] के पद के अन्तर्गत उस प्रकार का हर पद आएगा चाहे वह किसी भी नाम से कहा जाए ।

[5][**स्पष्टीकरण 2**—खंड (कंक) में "नेता" पद का वही अर्थ होगा जो उसका संसद् में विपक्षी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) में है]

[6][**स्पष्टीकरण 3**—खंड (कग) में, "मान्यताप्राप्त दल" और "मान्यताप्राप्त समूह" पद के वही अर्थ हैं जो संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में हैं ।]

4. कतिपय दशाओं में निरर्हता का अस्थायी निलम्बन—यदि संसद् सदस्य होते हुए कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व ऐसा लाभ का पद धारण करता था जिसे इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करने वाला घोषित किया गया था, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के कारण ऐसे निरर्हित हो जाता है तो ऐसा पद उसको संसद्-सदस्य रहने के लिए निरर्हित न करेगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास की कालावधि से आगे विस्तृत न होने वाली किसी कालावधि के लिए धृत है ।

5. निरसन—पार्लियामेंट (प्रिवेंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन) ऐक्ट, 1950 (1950 का 19), पार्लियामेंट प्रिवेंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 68), प्रिवेंशन आफ डिस्कवालिफिकेशन ऐक्ट, 1953 (1954 का 1) और किसी अन्य अधिनियमिति में का कोई उपबन्ध, जो इस अधिनियम से असंगत है, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

---

[1] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 3 द्वारा (19-7-1973 से) खंड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं0 31 की धारा 12 द्वारा (4-4-1959 से) अंतःस्थापित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं0 33 की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया गया ।
[4] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 3 द्वारा (27-8-1993 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] 1977 के अधिनियम सं0 33 की की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) अंतःस्थापित ।
[6] 1999 के अधिनियम सं0 5 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

अनुसूची

[धारा 3(झ) देखिए]

भाग 1

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन ।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 30 के अधीन गठित एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल ।

एक्सपोर्ट रिस्क्स इंश्योरेंस कारपोरेशन [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हिंदुस्तान केबल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हिंदुस्तान मशीन टूल्स [1]***लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

[2][हिंदुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड] का निदेशक बोर्ड ।

नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

नेशनल [3][इंडस्ट्रीयल] डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

सिन्द्री फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया [1]*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवपलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 17 के अधीन स्थापित सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ।

कोल माइंस (कंजरवेशन एंड सेफ्टी) ऐक्ट, 1952 (1952 का 12) की धारा 4 के अधीन स्थापित कोल बोर्ड ।

कौयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 6 के अधीन गठित कोल माइंस लेबर हाउसिंग बोर्ड ।

कलकत्ता के पत्तन के कमिश्नर ।

गांधीधाम नगर में भूमि के आबंटन के लिए समिति ।

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 के अधीन गठित कंपनी लां एडवाइजरी कमीशन ।

टेक्सटाइल फंड्स आर्डिनेंस, 1944 (1944 का 34) के अधीन गठित काटन टेक्सटाइल फंड कमेटी ।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई बाम्बे डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, बाम्बे ।

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई कलकत्ता डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डॉक लेबर बोर्ड, कलकत्ता ।

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई मद्रास डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डॉक लेबर बोर्ड, मद्रास ।

फारवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 के अधीन स्थापित फारवर्ड मार्केट्स कमीशन ।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया ।

---

[1] 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "(प्राइवेट)" शब्द और कोष्ठकों को लोप किया गया ।

[2] 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1960 का अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित ।

इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) के अधीन बनाए गए रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग आफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स रूल्स, 1952 के नियम 10 के अधीन गठित लाइसेंसिंग कमेटी ।

खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के अधीन गठित माइनिंग बोर्ड ।

एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 3 के अधीन स्थापित नेशनल को-ओपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग बोर्ड ।

रिहेबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित रिहेबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ।

टैरिफ कमीशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 50) की धारा 3 के अधीन स्थापित टैरिफ कमीशन ।

बाम्बे के पत्तन के ट्रस्टीज ।

मद्रास के पत्तन के ट्रस्टीज ।

कलकत्ता, मुम्बई या मद्रास पत्तन से भिन्न, इंडियन पोर्टस् 1908 (1908 का 15) में यथापरिभाषित किसी महापत्तन के ट्रस्टीज या कमिश्नर ।

राज्य सरकारों के अधीन निकाय

आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट ऐक्ट, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट फंड कमेटी ।

को-आपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी ।

लाइव स्टाक परचेजिंग कमेटी ।

आसाम

आसाम अधियार्स प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऐक्ट, 1948 की धारा 2क के अधीन गठित अधि काउंसिलियेशन बोर्ड्स ।

आसाम इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित आसाम इवैकुई प्रापर्टी मैनेजमेंट कमेटी ।

आसाम टेक्स्ट बुक कमेटी ।

बिहार

माइनिंग बोर्ड फार कोल माइंस ।

टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल लिट्रेचर कमेटी ।

मुम्बई

एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (एलोपैथिक) ।

एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (आयुर्वेदिक) ।

नरसिंगगिरिजी मिल्स, शोलापुर के कारबार और कामकाज के सर्वोपरि पर्यवेक्षण के संचालन के लिए बोर्ड ।

बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंसल्टेटिव काउंसिल ।

एम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंश स्कीम के अधीन मेडिकल सर्विस कमेटी ।

एम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंश स्कीम के अधीन फार्मेस्यूटिकल कमेटी ।

*मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर, पुणे, राजकोट और थाणा के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1954 की धारा 3 के अधीन गठित सौराष्ट हाउसिंग बोर्ड ।

*मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

मध्य प्रदेश हाउसिंग ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित विदर्भ हाउसिंग बोर्ड ।

---

* अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखिए ।

केरल

ट्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 8 के अधीन नियुक्त बोर्ड आफ एग्जामिनर्स ।

ट्रावनकोर-कोचीन बायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 63 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।

ट्रावनकोर-कोचीन इकोनोगाइजर रूल्स, 1956 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ।

महाकौशल हाउसिंग बोर्ड ।

[1][तमिलनाडु]

एस0एस0एल0सी0 परीक्षा के लिए अध्ययन के लिए पुस्तक चयन करने वाली कमेटी ।

छोटे पत्तनों के लिए लैडिंग एंड शिपिंग फीस कमेटीज ।

एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेंश (जनरल) रेगुलेशन्स, 1950 के विनियम 10क के अधीन गठित लोकल कमेटी ।

मद्रास बोर्ड आफ़ ट्रांसपोर्ट ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित [2][तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड] ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्सलटेटिव काउंसिल ।

पोर्ट कंजरवेंसी बोर्ड्स ।

छोटे पत्तनों के पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड्स ।

स्टेट बोर्ड आफ़ कम्युनिकेशन्स ।

टेक्स्ट बुक्स कमेटी ।

[3][कर्नाटक]

बोर्ड आफ़ मैनेजमेंट, मैसूर आइरन एंड स्टील वर्क्स भद्रावती ।

बोर्ड आफ मैनेजमेंट आफ इंडस्ट्रियल कन्सर्न्स ।

उड़ीसा

बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन के अधीन अपील कमेटी ।

उड़ीसा बोर्ड आफ कम्युनिकेशन्स एंड ट्रांसपोर्ट ।

[*]मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

[*]मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ।

पंजाब

पंजाब स्टेट नेशनल वर्कर्स (रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन) बोर्ड ।

राजस्थान

सिटी आफ कोटा इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1946 के अधीन गठित सिटी एम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कोटा ।

एक्साइज अपीलेट बोर्ड, अजमेर ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।

अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर ।

उत्तर प्रदेश

गवर्नमेंट सीमेंट फेक्ट्री बोर्ड ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अधीन नियुक्त आगरा, कानपुर लखनऊ और सहारनपुर के लिए स्थानीय समितियां ।

शिक्षा विस्तार विभाग के लिए पुस्तक चयन करने वाली उपसमिति ।

यू0पी0 शूगर एंड पावर अल्कोहल इंडस्ट्रीज लेबर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड ऐक्ट, 1950 की धारा 10 के अधीन गठित यू0पी0 शूगर एंड पावर अल्कोहल एंड लेबर हाउसिंग बोर्ड ।

---

[1] मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) "मद्रास" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) "मद्रास स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) "मैसूर" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[*] अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखिए ।

पश्चिमी बंगाल

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 45 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन गठित लाइसेंसिंग बोर्ड ।

वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऐक्ट, 1954 के अधीन गठित वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड ।

संघ राज्यक्षेत्रों में के निकाय

दिल्ली डेवलपमेंट ऐक्ट, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी ।

दिल्ली को यथा लागू बाम्बे इलेक्ट्रिसिटी (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट, 1946 की धारा 5 के अधीन गठित दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी पावर कंट्रोल बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल।

भाग 2

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त एयर इण्डिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी ।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी ।

सेंट्रल सिल्क बोर्ड ऐक्ट, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 के अधीन गठित सेंट्रल सिल्क बोर्ड ।

काफी ऐक्ट, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित काफी बोर्ड ।

क्वायर इंडस्ट्री ऐक्ट, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के अधीन गठित क्वायर बोर्ड ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार एसिड्स एंड फर्टिलाइजर्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार अल्कलीज एंड अलाईड इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार बाइसिकिल्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार ड्रग्स, डाइस एंड इंटरमिडिएट्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार इन्टरनल कम्बश्चन एंजिन्स एंड पावर ड्रिवन पम्प्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार लाइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार मशीन टूल्स ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार नान-फेरस मेटल्स इन्क्लूडिंग एलाइज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार आयल-बेस्ड एण्ड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार शूगर इंडस्ट्री ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टैक्सटाइल्स मेड आफ आर्टिफिशियल सिल्क इन्क्लूडिंग आर्टिफिशियल सिल्क यार्न ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टेक्सटाइल्स मेड आर्फ वूल इन्क्लूडिंग वूलन यार्न, होजरी, कार्पेट्स एंड ड्रगट्स ।

दरगाह ख्वाजा साहिब ऐक्ट, 1955 (1955 का 36) की धारा 4 के अधीन गठित दरगाह कमेटी, अजमेर ।

इंडियन सेंट्रल अरिकानट कमेटी ।

इंडियन कोकोनट कमेटी ऐक्ट, 1944 (1944 का 10) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी ।

इंडियन काटन सेल्स ऐक्ट, 1923 (1923 का 14) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी ।

इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी ।

इंडियन आयल सीड्स कमेटी ऐक्ट, 1946 (1946 का 9) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन सेंट्रल आयल सीड्स कमेटी ।

इंडियन सेंट्रल शूगरकेन कमेटी ।

इंडियन सेंट्रल टोबेको कमेटी ।

इंडियन लेक सेस ऐक्ट, 1930 (1930 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित इंडियन लेक सेस कमेटी ।

रबर ऐक्ट, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित रबर बोर्ड ।

टी ऐक्ट, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन गठित टी बोर्ड ।

राज्य सरकारों के अधीन निकाय

आन्ध्र प्रदेश

1339 एफ0 के हैदराबाद एग्रिकल्चरल मार्केट ऐक्ट नं0 2 की धारा 4 के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।

मद्रास कमर्शियल क्राप्स मार्केट्स ऐक्ट, 1933 की धारा 4क के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।

बिहार

बिहार स्टेट बोर्ड आफ रिलिजिस ट्रस्ट्स ।

बिहार सुबाई मजलिस ओकाफ ।

बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 15 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल एडवाइजरी कमेटी ।

बौद्ध गया टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ।

केरल

क्वायर परचेज स्कीम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ।

मद्रास कमर्शियल क्राप्स मार्केट्स ऐक्ट, 1933 के धारा 4क के अधीन गठित मालाबार मार्केट कमेटी ।

टपीओका मार्केट एक्सपेंशन बोर्ड ।

[1][तमिलनाडु]

मद्रास हिन्दू रिलिजस एंड चैरिटेबिल एंडाउमेण्ट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित हिन्दू रिलिजस एंड चैरिटेबल एंडाउमेण्ड्स के लिए एरिया कमेटी ।

वक्फ ऐक्ट, 1954 की धारा 9 के अधीन गठित मद्रास स्टेट वक्फ बोर्ड ।

पंजाब

पटियाला एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट, 2004 की धारा 3 के अधीन गठित स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ।

[2]* * * * * *

[3][सारणी

[धारा 3(ट) देखिए]

क्रम सं0	निकाय का नाम
1.	त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, त्रिपुरा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज ऐक्ट, 1966 के अधीन गठित निकाय ।
2.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउन्सिल ।
3.	इरिगेशन एण्ड फ्लड कंट्रोल कमीशन, उत्तर प्रदेश ।

[1] मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) "मद्रास" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1993 के अधिनियम सं0 54 की धारा 4 द्वारा (19-7-1993 से) भाग 3 का लोप किया गया ।
[3] 2006 के अधिनियम सं0 31 की धारा 3 द्वारा (4-4-1959 से) अंत:स्थापित ।

1	2
4.	इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता ।
5.	वेस्ट बेंगाल हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
6.	वेस्ट बेंगाल स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
7.	वेस्ट बेंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
8.	श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
9.	हल्दिया डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
10.	वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन, वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1995 के अधीन गठित निकाय ।
11.	हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स, हुगली रिवर ब्रिज ऐक्ट, 1969 (1969 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 36) के अधीन गठित ।
12.	पश्चिमी बंगाल वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के अधीन गठित निकाय ।
13.	स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, वेस्ट बेंगाल ।
14.	पश्चिमी बंगाल राज्य हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) के अधीन गठित ।
15.	आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथारिटी, वेस्ट बेंगाल, वेस्ट बेंगाल टाउन एण्ड कन्ट्री (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 13) के अधीन गठित निकाय ।
16.	वेस्ट बेंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकैमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
17.	वेस्ट बेंगाल हैंडलूम एण्ड पावरलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
18.	वेस्ट बेंगाल खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ।
19.	सोसाइटी फार सेल्फ-इंप्लाइमेंट फार अरबन यूथ, वेस्ट बेंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1961 (1961 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 26) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।
20.	तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् बोर्ड ।
21.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) के अधीन गठित प्राधिकरण ।
22.	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) ।
23.	इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) ।
24.	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ।
25.	नेशनल को-आपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) ।
26.	आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित आरोविल प्रतिष्ठान ।
27.	नेशनल कमीशन आफ इन्टरप्राइजेज इन अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर ।
28.	एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी) ।
29.	दिल्ली रुरल डेवलपमेंट बोर्ड ।
30.	मौलाना आजाद एजुकेशन फांउडेशन ।
31.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ।
32.	डा. अंबेडकर फांउडेशन ।
33.	बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, बिहार हिन्दू रिलीजियस ट्रस्ट ऐक्ट, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन गठित निकाय ।

1	2
34.	रिसर्च एण्ड इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर नॉन-अलाइंड एण्ड अदर डेवलपिंग कंट्रीज ।
35.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री ।
36.	उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ।
37.	उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल को-आपरेटिव फेडरेशन ।
38.	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ।
39.	नेशनल को-आपरेटिव यूनियन आफ इंडिया ।
40.	उत्तर प्रदेश कृषि और ग्राम विकास बैंक ।
41.	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
42.	इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स ।
43.	बोर्ड आफ कन्ट्रोल —ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट आफॅ सोशल स्टडीज, पटना ।
44.	ऑल इंडिया काउंसिल फार स्पोर्ट्स ।
45.	हावड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ।
46.	दलित सेना, 12, जनपथ, नई दिल्ली ।
47.	सोशल जस्टिस ट्रस्ट, 12 जनपथ, नई दिल्ली ।
48.	बहुजन फाउंडेशन (चेरिटेबल ट्रस्ट), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
49.	बहुजन प्रेरणा चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली ।
50.	केन्द्रीय वक्फ परिषद्, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 के अधीन स्थापित ।
51.	नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी (एन एम एम एल)।
52.	जलियांवाला बाग स्मारक न्यास ।
53	भारत की हज समिति, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 3 के अधीन गठित ।
54.	मल्लिकघाट फूलबाजार परिचालन कमेटी ।
55.	वेस्ट बेंगाल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड ।]

अनुबंध – III

Ministry of Law & Justice
Department of Legal Affairs

....

Shastri Bhawan
New Delhi – 110001

The Lok Sabha Secretariat may refer to their OM No.21/2/3(2)/2017/CII dated 30.03.2017 seeking_our comments on the issue concerning the nomination of four Members of Parliament (Lok Sabha) i.e. Dr. Manoj Rajoria, Karauli (Dholpur); Shri C.P. Joshi, Chittorgah and Pratapgarh; Shri Om Birla, Kota and Boondi and Shri Rahul Kaswa, Churu are being nominated to the District Planning Committees of the Karauli, Pratapgarh, Boondi and Churu Parliamentary Constituencies respectively and sought the permission of Hon'ble Speaker, Lok Sabha from the angle of 'Office of Profit'. Comments of this Department are enclosed herewith as Annexure.

27/07/17

(Dr. P.K. Behera)
Dy. Legal Adviser
27.07.2017

Ms. Rita Jailkhani, Director, (Committee Branch-II), Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi – 110001.

UO No. (E.O.No.) 270703/LS/2017 dated 27th July, 2017

27/7/17
Recd. 4.20PM

Addl.Dir. (CB II) on leave
EO (CB II) for n/a pl.
27/7/17

Seema
27/7

Annexure

Comments of the Department of Legal Affairs

....

The Lok Sabha Secretariat has requested for our comments on the issue concerning the nomination of four Members of Parliament (Lok Sabha) i.e. Dr. Manoj Rajoria, Karauli (Dholpur); Shri C.P. Joshi, Chittorgah and Pratapgarh; Shri Om Birla, Kota and Boondi and Shri Rahul Kaswa, Churu are being nominated to the District Planning Committees of the Karauli, Pratapgarh, Boondi and Churu Parliamentary Constituencies respectively and sought the permission of Hon'ble Speaker, Lok Sabha from the angle of 'Office of Profit'.

2. We have perused the matter, providing details pertaining the nomination of MPs, Lok Sabha as Members of the District Planning Committee of the State of Rajasthan attached with the Note. It is stated that as per section 121 of the Rajasthan Panchayat Act, 1994 provides that the Committee for District Planning (1) the Government shall constitute in every district a District Planning Committee, hereinafter in this section, referred to as "the Committee" to consolidate the plans prepared by the Panchayati Raj Institutions and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.

3. In the point-wise reply against Sl.No.1 by the Rajasthan Government vide letter dated 03.03.2017, the administrative Ministry has stated that the District Planning Committee is a standing body. In the point-wise reply against Sl.No. 2, the composition of the District Planning Committee consisting 4 officials member and 21 non-officials member in the body and in non-official members 2 persons from MPs.

4. Under para 3 of the List relating to power and function of the Committee. It is stated that the main functions of the committee shall be to consolidate the district annual plan prepared by Panchayat Samiti and Municipal bodies of the District and forwarded the district plan to the State Governments. Under point 4 of the List stated that the functions of the Committee are not purely advisory in nature. Under 5th of the List, points relating to the term of Member of Parliament as non-official member in the Committee and in this regard, it is stated that 5 years and till further order of the Government. As regards, para 5(2) of list of points, it is stated that Government do exercise control over the appointment and removal from the office and have no control over the performance and function of the office.

5. Under 5(4) of the List, point relating to the role of Member of Parliament as a member in the committee are to consolidate the annual plans prepared by Panchayat Samitis and Municipal Bodies of the District, approval of the district plan and forward the approved district plan to the State Government. Under 6 (1) (2) (3) of the List of Points relating to the committee did not exercise executive, legislative and judicial powers and powers of disbursement of funds, allotment of fund etc. and under point

6(4) of the List of Points, relating to committee will wield influence or power by the way of patronage.

6. In para 7(1), (2), (3) of points relating to allowances, facility and remuneration etc. in this regard, it is stated that the Member of Parliament of the Committee are not paid/given any allowance or facility as a Member of a committee and no allowance are payable to the Member of Parliament as the member of the committee not covered under the compensatory allowance defined in section 2(a) of Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

7. Attention is drawn towards Article 102(1) in the Constitution of India, which provides that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament (a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder. The essential ingredients for attracting the said article, as settled by numerous cases, are that there must be an office, such office must be at office of 'profit', it must be under the Government of India or the Government of a State, such office must not be excluded from the operation of this sub-clause by a law made by Parliament. To decide the issue, therefore, it is imperative to examine the nature of Government control, functions of the Committee and the allowances receivable by the member. In so far as the Law made by Parliament is concerned, the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) has been enacted to declare certain offices of profit under the Government not to disqualify the holders thereof for being chosen as or for being, Member of Parliament. However, the office under question is not an office exempted under the said Act.

8. As the power of appointment and removal of the District Planning Committee vest with the Government, it may fall under the test laid down by the Supreme Court of India in the case of **Shivmurthy Swami Vs. Agadi Sanganna Andnappa (1971 (3) SCC 870).**

9. In the above mentioned matter, as desired by the Hon'ble Minister of State for Law & Justice, a meeting was held in his chamber on 29.06.2017 at MeitY, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi. In the said meeting, Additional Secretary Shri Inder Kumar and the undersigned were present. As per discussion, the Hon'ble Minister has viewed that Member of Parliament is a Member of Statutory Body other than the body as referred in section 3(h) in the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959. The holder as indicated in the list of point at 7 by State Government of Rajasthan, the MP being the holder of such office has mentioned that no allowance, no facility and remuneration are payable to the Member of Parliament as the Member of the Committee. Hence not covered under the Compensatory Allowance in section 2(a) of Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959. Therefore, in view of provision of section 3(i) of the Act, 1959 in the office of District Planning Committee is not an office and it cannot be term as an office of profit.

10. However, Section 3 of Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 enumerates the offices which do not disqualify the holders thereof. Clauses (h) and (i) are the most important clauses of this Act. Clause (h) exempts the office of the Chairman or Member of a Committee for the purpose of advising the Government or any other authority on a matter of public importance etc. provided the holder of the office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance. Clause (i) exempts the office of Chairman, Director or Member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (h), if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance. However, this exemption is not available to the Chairman of any of the bodies listed in Part I of the Schedule. It is also not available to the Chairman or Secretary of any Statutory or non-Statutory body specified in Part II of the Schedule.

11. Two things become clear on a perusal of these provisions. First, exemption from disqualification is provided on the basis of nature of the emoluments. If a Member of Parliament receives only the compensatory allowance, he will not incur disqualification. The nature of the duties and functions of the office he holds is not material as long as the member receives only compensatory allowance. Secondly, a legislator can accept the office of a member of all the bodies listed in Part I and II of the Schedule provided he receives only compensatory allowance. Under Schedule of Article 102, exemption from disqualification arises only if the office is an office of profit. The real difficulty lies in determining whether an office is an office of profit. The Act does not deal with this basic question. For that, one has to apply the tests laid down by the Supreme Court in various cases. As a matter of fact at present there is no mechanism by which it can be found out whether an office is an office of profit before a person accepts it.

12. In view of the above and on the basis of document made available to this Department and view given by Hon'ble Minister of State for Law & Justice with reference to our earlier advice at P-1-2/N, we are of the view that the nomination of Member of Lok Sabha to the District Planning Committee may not be considered as office of profit under the Government.

*****

अनुलग्नक - IV

Most Immediate

No.17 (8)/2017 - Leg.III
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department

New Delhi, the 8th August, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Nomination of Members of Lok Sabha to the District Planning Committee of the State of Rajasthan - reg.

In continuation of this Department's Office Memorandum of even number dated the 21st April, 2017 and the Lok Sabha Secretariat Office Memorandum No.21/2/3(2)/2017/CII dated the 20th July, 2017, requesting to furnish final remarks on the subject cited above, the undersigned is directed to forward herewith the final comments of this Department as desired. Hindi version of the same will follow.

Encl. As above

08/08/17
(R.S.Jayakrishnan)
Assistant Legislative Counsel
Tel. No.: 23389661
FAX No. 23382733

To

Lok Sabha Secretariat,
Committee Branch – II (Joint Committee on Offices of Profit),
[Kind Attn: Ms. Rita Jailkhani, Director],
G – 013, Parliament House Annexe, Extn. Building,
New Delhi – 110 001.

Talita 9/8/17
Recd. 11.30 AM

Addl Dir (CB II) / pl. put up.
9/8/17 C.O. (CB II) / Smt. Seema.
9/8/17
9/8

Legislative Department

Final comments of the Legislative Department

Sub.:- Nomination of Members of Lok Sabha to the District Planning Committees of the State of Rajasthan - reg.

Lok Sabha Secretariat *vide* OM No.21/2/3(2)/2017/CII dated the 30th March, 2017 has forwarded the documents furnished by the Government of Rajasthan, requesting to furnish the written opinion of this Department. Accordingly, this Department *vide* O.M dated the 21st April, 2017 has forwarded the written opinion *inter alia* stating that without sufficient documents regarding the functions assigned to the Committees, it may not be possible to give a conclusive reply in the matter. Accordingly, the Lok Sabha Secretariat *vide* O.M dated the 20th July, 2017 has forwarded the documents received from the State Government of Rajasthan and requested this Department to furnish the final comments of this Department to that Secretariat.

2. On going through the documents forwarded by the Government of Rajasthan, against the list of points in serial number 1, it is stated that the District Planning Committee is a standing body with four official members and twenty one non official members. Out of the twenty one non official members two persons shall be from Members of Parliament, MLA's or persons representing voluntary agencies nominated by the State Government.

3. As per the list of points received from the State Government, against serial number 3, it is stated that the main functions of the District Planning Committee is to consolidate the District Annual Plan prepared by the Panchayat Samitis and Municipal Bodies of the District. However, against serial number 4, on the list of points, the State Government has stated that the functions of the Committee are not purely advisory in nature.

4. Further, against serial number 5, of the list of points against item 3, it is stated that no allowances are payable to the Members of Parliament as the Member of the Committee and hence they are not covered under the compensatory allowance defined in clause *(a)* of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

5. In this regard, it may be mentioned that sub-clause *(a)* and of clause *(1)* of article 102 of the Constitution provides that a person who holds any office of profit under the Government of India or of any State shall be disqualified and he is not eligible to be chosen as a Member of Parliament or to continue as one unless such office has been declared by Parliament by law not to disqualify the holder. In so far as the Law made by Parliament is concerned, the Parliament (Prevention of disqualification) Act, 1959(10 of 1959) has been enacted to declare certain offices of profit under the Government not to disqualify the holders thereof for being chosen as or for being, Member of Parliament. However, the District Planning Committee of State of Rajasthan has not been exempted under the said Act.

6. Now, the question under consideration is based on the facts mentioned above, whether the nomination of the Hon'ble Members of Parliament to the District Planning Committee in each district of State of Rajasthan would attract disqualification from membership of the House under 'Office of Profit' under sub-clause *(a)* of clause *(1)* of article 102 of the Constitution.

7. The matter has been examined in this Department. On examination, it is seen that District Planning Committee was constituted in exercise of the powers conferred under section 121 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994. The said section provides that the District Planning Committee have to consolidate the plans prepared by the Panchayati Raj Institutions and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole. Sub-section (2) of section 121 provides for the members of the District Planning Committee. Further, sub-section (4) of section 121 reads as follows:-

> *"(4) The nominated members may consist of:*
>
> *(a) persons representing the State Government;*
>
> *(b) members of the House of the People or of the Rajasthan Legislative Assembly who represent a constituency comprising the whole or part of the district;*
>
> *(c) members of the Council of States who are registered as electors in the district; and*
>
> *(d) members representing such organisations and institutions as may be deemed necessary by the Government;"*

8. Further sub-section (5) of section 121 provides for the functions of the Committee. The said sub-section reads as follows:-

> *"(5) The Committee shall have–*
>
> *(a) such functions relating to district planning as may be assigned to it by the Government; and*
>
> *(b) such powers as may be conferred on it by the Government."*

9. As per the documents received from the State Government of Rajasthan, it is seen that the State Government has framed rules, namely the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, in exercise of the powers conferred by section 102 read with sections 3 (5), 7(9), 8, 25(1), 31, 32(1), 33(c), 35(1), 37(3), 38(1), 39(2), 44, 45(3), 53(1), 60, 65(1), (2), 67(2), 68(2), 69, 74(1), (4), 75(1)(2)(3), 77, 78(1) (2), 79(2), 80(1)(3), 81(1), 82(1), 84(1), 89(4) (8), 90(2), 91(1), 121(3)(5) and 122 of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994.

10. Rule 352 of Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 provide for the functions of District Planning Committee and the said rule reads as follows:-

"352. Powers and functions of District Planning Committee.– (1) Main functions shall be to consolidate the annual plans prepared by Panchayat Samitis and Municipal Bodies of the district.

(2) Consider issues of common interest as laid down in sub-section (7) of section 121 of the Act.

(3) Forward the district plan to the State Government.

(4) Chief Planning Officer shall act as Secretary of the Committee.".

11. Thus, on a close reading of the powers and functions mentioned above along with the provisions of sub-section (7) of section 121 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, the functions of the Committee are advisory in nature. In this regard, it is noteworthy to mention that in the list of points against point number 6, the State Government had replied that the Committees do not exercise executive, legislative or judicial powers or confers power of disbursement of funds, allotment of lands etc., or gives powers of appointment and the Committee. However, in serial number 6, on the list of points, against item 4), in response to the querry, "whether the Committee would wield influence or power by way of patronage", the State Government had replied that the Committee will wield influence by way of patronage.

12. With regard to the remuneration, allowances and facilities etc. are concerned, it is replied by the State Government that the Members of the Committee are neither entitled to get any remuneration nor any allowances and facilities. Hence, the element of any "profit" in terms of pecuniary gain may not arise in the instant case.

13. On the basis of the information furnished by the State Government, it appears that the members are being nominated to the Committees by virtue of the statutory provisions of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1984 and the removal is not provided in the said Act or by any rules made therein.

14. Keeping in view the information furnished by the State Government of Rajasthan against serial number 4 that the functions of the Committee are not purely advisory in nature and against serial number 6, item(4) of the list of points that the Committee will wield influence or power by way of patronage, this Department is of the view that nomination of Members of Lok Sabha to the District Planning Committees of Rajasthan may entail disqualification for being a Member of Parliament.

******

अनुबंध -V

F.No.17(8)/2017-Leg.III
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 27th November, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-**Consolidated opinion of Ministry of Law and Justice on a reference received from the Lok Sabha Secretariat as to whether nomination of four MPs (LS) to the District Planning Committees of State of Rajasthan would attract disqualification from Parliament for holding Office of Profit.**

The undersigned is directed to refer to the directions given by the Joint Committee on Office of Profit to furnish the consolidated opinion of both the Department of Legal Affairs and the Legislative Department on the above mentioned case and to forward herewith consolidated opinion (both in English & Hindi) in the matter.

Encl:A/a

27/11/20
(Vinay Kumar Mishra)
Deputy Legislative Counsel
Ph: 2338 4065

The Lok Sabha Secretariat
Committee Branch-II
[Kind Attn: Smt. B.Visala, Director)
{Joint Committee on Offices of Profit }]
G-013, B Block,PHA Extension Building
New Delhi. 110 001

Received on 2/12/2020 at 3pm.
2/12/20

35

Legislative Department

****

Subject: Consolidated opinion of Ministry of Law and Justice on a reference received from the Lok Sabha Secretariat as to whether nomination of four MPs (LS) to the District Planning Committees of State of Rajasthan would attract disqualification from Parliament for holding of office of profit.

The Lok Sabha Secretariat has requested for a consolidated opinion of the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) on the issue concerning the nomination of four Members of Parliament (Lok Sabha) i.e. Dr.Manoj Rajoria, Karauli (Dholpur); Shri C.P. Joshi, Chittorgarh and Pratapgarh; Shri Om Birla, Kota and Boondi and Shri Rahul Kaswa, Churu to the District Planning Committees of the Karauli, Pratapgarh, Boondi and Churu Parliamentary Constituencies respectively who have sought the permission of Hon'ble Speaker, Lok Sabha from the angle of 'Office of Profit'.

2. The reference puts forth for consideration the issue whether the nomination of the Hon'ble Members of Parliament to the District Planning Committee in each district of State of Rajasthan would attract disqualification from membership of the House for holding 'Office of Profit' under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution.

3. The relevant Constitutional provision *i.e.* sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution provides that-

> "(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament—
>
> (a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;"

4. In so far as the law made by Parliament is concerned, the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) has been enacted to declare certain offices of profit under the Government, not to disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, a member of Parliament.

5. The subject matter was examined by the Department of Legal Affairs in the light of constitutional and statutory provisions and case laws and it was opined that the District Planning Committee is a Statutory Body constituted as per section 121 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, which provides the composition and mandate of the committee as under: –

> 121. Committee for District Planning.- (1) The Government shall constitute in every district a District Planning Committee, hereinafter in this section, referred to as "the Committee " to consolidate the plans prepared by the Panchayati Raj Institutions and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.
>
> (2).....
>
> (3) .....
>
> (4) The nominated members may consist of :-
>
> (a) persons representing the State Government;
>
> (b) members of the House of the People or of the Rajasthan Legislative Assembly who represent a constituency comprising the whole or part of the district.
>
> (c) members of the Council of States who are registered as electors in the district, and
>
> (d) members representing such organisations and institutions as may be deemed necessary by the Government.
>
> (5) The committee shall have-
>
> (a) such functions relating to district planning as may be assigned to it by the Government; and

(b) such powers as may be conferred on it by the Government .

(6) The Chairperson such Committee shall be the Pramukh of the Zila Parishad concerned.

(7) Every Committee shall be, in preparing the draft development plan,-

(a) have regard to- (i) matters of common interest between the Panchayati Raj Institution and the Municipalities including spatial planning, sharing if water and other physical and natural resources, the integrated development of the infrastructure and environmental conservation , and

(ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise , and

(b) consult such institutions and organisations as the Government may be order, specify.

(8) The Chairman of every Committee shall forward the development plan, as recommended by such committee to the Government.

Explanation – For the purpose of this section, the term "Municipality" shall have the meaning assigned to it by the Rajasthan Municipalities Act, 1959.

6. Attention was also drawn to section 3(i) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, (the Act) which reads as under:

3. Certain offices of profit not to disqualify.— It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any State, shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of Parliament, namely:—

.....

[(i) the office of chairman, director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (h), if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance, but excluding (i) the office of chairman of any statutory or non-statutory body specified in Part I of the Schedule, (ii) the office of chairman or secretary of any statutory or non-statutory body specified in Part II of the Schedule;]

7. In the light of the above, it was concluded by the Department of Legal Affairs that District Planning Committee is a statutory body under the Rajasthan Panchayati Raj Act and holding of an office thereunder by a Member of Parliament does not attract the disqualification for holding an office of profit. Another relevant issue is that a Member of Parliament by holding of office in the Committee, draws no allowance, no facility and no remuneration is payable to him as the Member of the Committee. There is no admissibility of Compensatory Allowance as laid down under section 2(a) of the Act. Therefore, in view of provision of section 3(i) of the Act, the office of District Planning Committee cannot be termed as an office of profit, so as to disqualify a Member of Parliament, who occupies it.

8. The subject has also been examined by the Legislative Department in detail and it is stated that as no allowance, no facility and remuneration are payable/receivable by the Member of Parliament as Member of the District Planning Committee and the provisions relating to Compensatory Allowance as per section 2(a) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 not being attracted and the same being read along with section 3(i) of the Act, the office of District Planning Committee cannot be termed as an office of profit. Thus, the Legislative Department is in concurrence with the opinion tendered by the Department of Legal Affairs on the subject.

***

गोपनीय

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की बुधवार, 18 नवम्बर, 2020 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश का सार

समिति की बैठक बुधवार, 18 नवम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा 'बी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

डॉ.सत्यपाल सिंह - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय कुमार हांसदाक
3. श्रीमती अपराजिता सारंगी

राज्य सभा

4. डॉ. सष्मित पात्रा
5. श्री वि. विजयसाई रेड्डी

मंत्रालयों के प्रतिनिधि

विधि और न्याय मंत्रालय

(एक) विधि कार्य विभाग

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अनूप कुमार मेंहदीरत्ता	सचिव
2.	श्री एस.आर. मिश्रा	अपर सचिव
3.	डॉ. राजीव मणि	संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

(दो) विधायी विभाग

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. जी. नारायण राजू	सचिव
2.	श्री विनय कुमार मिश्रा	उप विधायी सलाहकार

सचिवालय

1.	श्री बी. विशाला	-	निदेशक
2.	श्री राज कुमार चौधरी	-	अवर सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची यथा (एक) राजस्थान से लोक सभा सदस्यों का राज्य की जिला आयोजना समिति में नामनिर्देशन से संबंधित प्रारूप ज्ञापन सं. 5 पर विचार करना तथा (दो) 13 मार्च, 2019 को सचिवालय को अग्रेषित किए गए विधेयक के संदर्भ में 'लाभ के पद' की व्याख्या को परिभाषित करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए प्रारूप विधेयक के संबंध अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, सभापति ने विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि कोविड-19 महामारी के चलते यह निर्णय लिया गया कि समिति की कार्यवाही की मैनुअल रिपोर्टिंग नहीं होगी और आप सभी से आग्रह है कि बोलने से पहले प्रत्येक बार अपना परिचय दें।

4. तत्पश्चात्, समिति ने प्रारूप ज्ञापन सं. 5 पर विचार किया और उस पर चर्चा की। सचिव, विधायी विभाग ने बताया कि राजस्थान की जिला आयोजना समिति राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 121 के अधीन गठित एक संवैधानिक निकाय है। जिला आयोजना आयोग के कार्य विशुद्ध रूप से परामर्श देना

है एवं संसद सदस्यों को समिति के सदस्य के रूप में किसी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता। उन्होंने आगे बताया कि राजस्थान सरकार ने यह भी बताया कि इन समितियों के पास कोई कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शक्तियां नहीं है। जो शक्तियां सौंपी गई हैं उनमें निधियों का संवितरण, भूमि का आबंटन तथा नियुक्ति की शक्तियां शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि जैसा कि राजस्थान सरकार ने सूचित किया है समिति अपना प्रभाव और अपनी शक्ति को संरक्षण के माध्यम से प्रयुक्त करती है। तत्पश्चात् उनके विभाग का यह विचार था कि ऐसे नामनिर्देशन संसद सदस्य के रूप में निरर्हता के पात्र होंगे। यह उन दिशानिर्देश में से है जिन्हें लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा 1984 में जारी किया था। तथापि पिछली बैठक के दौरान समिति की इच्छानुसार विधि कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में इस मामले की विधि के दृष्टिकोण से पुन: जांच की गयी थी और उन्होंने अपनी राय को सकारात्मकता में बदला। तत्पश्चात् समिति ने उनके निर्णय को बदलने के औचित्य के बारे में पूछा और इससे संबंधित तर्क को लिखित में प्रस्तुत करने के लिए विधायी विभाग को निर्देश दिया अन्यथा न्यायिक हस्तक्षेप भी हो सकता है। इसके अलावा समिति ने निर्देश दिया कि आपसी सलाह से दोनों विभागों द्वारा एकमत होकर राय प्रस्तुत की जाए।

5. XX XX XX XX XX

6. तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XX इस प्रतिवेदन से सम्बंधित नहीं है

परिशिष्ठ - दो

गोपनीय

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की 15 मार्च, 2021 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश का सार

समिति की बैठक सोमवार, 15 मार्च, 2021 को 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कमरा सं. '3', प्रथम तल, ब्लॉक 'ए', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

डॉ.सत्यपाल सिंह - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय कुमार हांसदाक
3. डॉ. मनोज राजोरिया
4. श्रीमती अपराजिता सारंगी
5. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी

राज्य सभा

6. डॉ. सष्मित पात्रा
7. श्री महेश पोद्दार
8. श्री हरद्वार दुबे

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री राज कुमार चौधरी - अवर सचिव

2. पहले तो, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और फिर उन्होंने उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में बताया।

3. उसके बाद, समिति ने (एक) राजस्थान राज्य की जिला आयोजना समितियों में संसद सदस्यों के मनोनयन से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन; और (दो) राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (एनकेवीआईबी) में राज्य सभा सदस्य के चयन से संबंधित दूसरे प्रतिवेदन पर विचार कर उन्हें स्वीकृत कर लिया है।

4. समिति ने बिना किसी संशोधन के इन प्रतिवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकृत कर लिया है।

5. XX XX XX XX XX

6. XX XX XX XX XX

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XX इस प्रतिवेदन से सम्बंधित नहीं है